

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 305 /FP/UK/ROAD/14474/2015 :देहरादून:दिनांक: 28 जुलाई, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्वारब-मौना-सरगाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8925 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन फाईल नं० FP/UK/ROAD/14474/2015)

संदर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/291/2015/एफ०सी०/1611 दिनांक 28-12-2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 5970 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 59,70,000.00 (रू० उनसठ लाख सत्तर हजार) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 7,54,163.00 (रू० सात लाख चौवन हजार एक सौ त्रैसठ) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई 5970 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

संख्या :- /FP/UK/ROAD/14474/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल)।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक